न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 310/18

सरकार बनाम श्री: रतना उर्फ मुंशी पुत्र मुंशी

जाति - मीणा निवासी - बालीन

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 27.2.18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री रतना ---------- पुत्र श्री--- मुंशी ---------- जाति मीणा ---------- निवासी बालीन ---- तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रवि / ~~खरीफ~~ मे ग्राम बालीन ---------- की राजकीय आराजी खसरा नं. 331/1 ---- रकबा 14.98 ---- किस्म ---- भूमि से 0.102 ---- रकबा पर अनाधिकृत रूप से ---- कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ । अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया । अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नही किया गया । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अत: अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रामण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.88 ---- का 50 ---- गुना 44/- रु राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

तहसीलदार

महवा जिला दौसा

रजिस्टर ग/ध के पेज नं0 27 पर
वर्ष 2017-18 544 रु
की जमा ...
दिनांक : 5/3/18
लेखाकार
तहसील-महवा